25.6.19 [illegible] पत्रावली वा[illegible] 28.6.19 को पेश हो। [signature]

28.6.19 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] दौरे पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते परिम कार्यवाही दिनांक 2.7.19 को पेश हो। [signature]

2.7.19 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 5.7.19 को पेश हो। [signature]

5.7.19 वकील वादी [illegible] वकील उपस्थित। [illegible] द्वारा [illegible] के कोई [illegible] नहीं [illegible] वकील [illegible] सुनी गई। [illegible] स्वीकार किया जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] नम्बर [illegible] तकमील कार्यवाही [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

पक्षकार [illegible] [illegible] कोई [illegible] नहीं [signature] 5.7.19

[signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 01/2019(पत्थर गड्डी)

गिरधारीलाल पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—प्रार्थी

बनाम

1. धर्मवीर पुत्र मगराज जाति जाट निवासी ग्राम कुमावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र : अं.धारा 111, 128 रा0 भू0 रा0 अधि0 1956

ऐडवोकेट प्रार्थी— श्री प्रदीप कुमार झाझडिया
ऐडवोकेट अप्रार्थी— राज पैराकार ना0 तहसीलदार

निर्णय

निर्णय दिनांक 05.07.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कुमावास की सरहद में आराजी ख.न. 3, 764/2, 379 किता 3 कुल रकबा 3.18 है0 स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ग्राम कुमावास की सरहद में आराजी ख.न. 381, 759/1, 763/2, 767/379 किता 4 कुल रकबा 1.65 है0 स्थित जो अप्रार्थी नं. 1 की खातेदारी की भूमि है जिसका अप्रार्थी नं. 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की आराजी ख.न. 764/2 रकबा 0.24 है0 के उतर में शामलाती विभाजन में छोडा गया रास्ता जिसके ख.न. 762/2 है व अप्रार्थी नं. 1 की भूमि ख.न. 763/2 स्थित है। अप्रार्थी नं. 1 बदमाश किस्म व्यक्ति है, जो प्रार्थी की भूमि की सीमा के साथ छेड छाड करता है तथा सीमा को लेकर हमेशा ही लडाई झगडा करने पर आमादा रहता है, और नाजायज रूप से प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखता है। जिस कारण अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थी के खेत की सींव फोडता रहता है। प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 के मध्य कभी भी सीमा को लेकर तनाव व झगडा हो सकता है। इसलिये प्रार्थी ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख.न. 764/2 रकबा 0.24 है0 का तहसीलदार नवलगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.12.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक ही प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की उतरी सीमा पर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगडी करवाना चाहता है। जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। भूमि ख.न. 764/2 रकबा 0.24 है0 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करवा लिया है। जिसके अनुसार ही प्रार्थी अपनी भूमि की उतरी सीमा पर स्थाई सीमा चिन्ह करवाना चाहता है इसलिये प्रार्थी के खेत की उक्त उतरी सीमा पर पत्थर गड्डी किये जाने पर बाधा का कोई कारण नही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम कुमावास की सरहद में स्थित आराली ख.न. 764/2 रबका 0.24 है0 की उतरी सीमा पर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी नं. 2 तहसीलदार नवलगढ द्वारा आदेशिका पर पक्षकार सहमत होने पर कोई एतराज नही होना अंकित किया गया है। अतः बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम कुमावास संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न 3, 764/2, 379 किता 3 कुल रकबा 3.18 है0 की खातेदारी गिरधारीलाल पुत्र हरसुख जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

इस संबधं में प्रस्तुत फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गयां जिसके अनुसार पटवारी हल्का द्वारा ग्राम कुमावास की भूमि खसरा नम्बर 753 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 754 रकबा 0.02है0 खसरा नम्बर 764/ रकबा 0.24 है0 का सीमाज्ञान प्रार्थी व उनके परिजनों की उपस्थिति में मौके का सीमा ज्ञान किया गया। चूंकि पूर्व में आवेदक की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान राजस्व कर्मियों द्वारा करवाया जा चुका है आवेदक अपनी काश्त भूमि की पत्थरगड्डी कराना चाहता है। अतः आवेदक का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकर किया जाता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र पत्थर गडी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कुमावास की भूमि ख.न. 764/2 रकबा 0.24 है0 का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आवागमन का प्रचलित रास्ता/सडक इस आदेश से बाधित नही होगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश आवेदक से नियमानुसार शुल्क जमा राज लिया जाकर उक्त भूमि की पत्थरगडी करवाई जावे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुरारी लाल सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner